भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2646
बुधवार, 11 अगस्त, 2021/20 श्रावण, 1943 (शक)

महामारी के दौरान छूटी नौकरियां

2646. श्री प्रशांत नन्दाः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महामारी के दौरान कुल कितने लोगों की नौकरियां छूट गई है;

(ख) प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में क्षेत्र-वार कितने लोगों की नौकरियां छूट गई हैं;

(ग) रोजगार के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में कितनी महिलाओं की नौकरियां छूट गई है;

(घ) पहले अपनी नौकरी गंवाने के बाद कितने नागरिकों को पुनः नौकरी प्राप्त हो गई है; और

(ड.) पहले अपनी नौकरी गंवाने के बाद कितनी महिलाओं को पुनः नौकरी प्राप्त हो गई है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ड.): रोजगार/बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किए जाने वाले आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से 2017-18 से एकत्र किए जा रहे हैं। सर्वेक्षण वार्षिक रूप से जुलाई से जून तक आयोजित किए जाते हैं। 2019-20 के दौरान आयोजित नवीनतम उपलब्ध पीएलएफएस के परिणामों के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का सामान्य स्थिति आधार पर अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) निम्नलिखित हैः

वर्ष	**कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) (%)**		
	पुरूष	महिला	व्यक्ति
2018-19	71.0	23.3	47.3
2019-20	73.0	28.7	50.9

वर्ष 2018-19 और 2019-20 में व्यापक कार्य उद्योग का चालू साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) के अनुसार कार्यरत व्यक्तियों का क्षेत्र-वार अनुमानित प्रतिशत वितरण नीचे दिया गया हैः

प्रमुख क्षेत्रों का कार्यबल	**2018-19**			**2019-20**		
	पुरूष	महिला	व्यक्ति	पुरूष	महिला	व्यक्ति
प्राथमिक	37.4	49.7	40.2	39.2	56.5	43.7
द्वितीयक	27.1	20.5	25.7	25.9	16.6	23.5
तृतीयक	35.4	29.8	34.2	34.9	26.8	32.8

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय औपचारिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मासिक पे-रोल आंकडो का प्रकाशन भी कर रहा है। यह दर्शाता है कि वर्ष 2020-21 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अंशदाता आधार में संचयी शुद्ध पे-रोल वृद्धि 77.08 लाख है, जो कि पिछले वर्ष (78.58 लाख) के लगभग बराबर है। यह देखा गया है कि अप्रैल और मई 2020 के महीने को छोड़कर 2020-21 के प्रत्येक माह में ईपीएफओ अंशदाता आधार द्वारा दर्शाए गए शुद्ध पे-रोल में वृद्धि हुई है।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार के सृजन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार की पुनः बहाली हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत नए कर्मचारियों में वे कर्मचारी शामिल हैं जो कोविड-19 के दौरान अपना रोजगार खो चुके थे एवं जो 30.09.2020 तक ईपीएफ से कवर किसी प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं थे। 4 अगस्त, 2021 की स्थिति के अनुसार, योजना के तहत 25.78 लाख कुल लाभार्थियों ने लाभ लिया है जिसमें से 3.52 लाख लाभार्थी वे पुनर्नियोजित व्यक्ति हैं जिन्होंने 1 अक्तूबर, 2020 के उपरांत पुनः नियुक्ति पाई। इसमें पुनः नियुक्ति प्राप्त महिलाओं की संख्या 0.77 लाख है। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है।

*****